By-Email/Post

पत्रांक–को० / म०भो०–14 / 2010 ..... /

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति

प्रेषक,

निदेशक,
मध्याह्न भोजन योजना,
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी, बिहार।
———————————————
प्रबंध निदेशक, राज्य खाद्य निगम, पटना।
———————————————
वरीय क्षेत्रीय प्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, पटना।

पटना, दिनांक .....

विषयः मध्याह्न भोजन योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 के चतुर्थ त्रैमास का खाद्यान्न आवंटन के संबंध में।

प्रसंग मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक 5(1)/2012-Desk (MDM) दिनांक 29.08.2012

महाशय,

उपर्युक्त विषयक वित्तीय वर्ष 2012–13 के चतुर्थ त्रैमास का आवंटन दिया जा रहा है। चतुर्थ त्रैमास का आवंटन (जनवरी 2013 से मार्च 2013) निम्न प्रकार जिलावार उपावंटित किया जा रहा है–

क्र. सं.	जिला का नाम	वर्ग I-V (वर्ष 2012–13)			वर्ग VI-VIII (वर्ष 2012–13)		
		नामांकन	औसत लाभांवित (नामांकन का 50%)	चतुर्थ त्रैमास का आवंटन (मात्रा MT में)	नामांकन	औसत लाभांवित (नामांकन का 50%)	चतुर्थ त्रैमास का आवंटन (मात्रा MT में)
1	पटना	523135	261568	1034.66	210155	105078	775.36
2	नालन्दा	337400	168700	667.31	130919	65460	483.02
3	भोजपुर	356449	178225	704.99	124215	62108	458.29
4	बक्सर	248107	124054	490.71	99025	49513	365.35
5	रोहतास	306301	153151	605.81	183286	91643	676.23
6	कैमूर	239428	119714	473.54	101503	50752	374.49
7	गया	863603	431802	1708.04	208096	104048	767.77
8	जहानाबाद	160442	80221	317.32	63662	31831	234.88
9	अरवल	97625	48813	193.08	43303	21652	159.77
10	नवादा	358084	179042	708.22	101081	50541	372.93
11	औरंगाबाद	395490	197745	782.20	139535	69768	514.81
12	सारण	538234	269117	1064.52	224884	112442	829.71
13	सिवान	405200	202600	801.41	188167	94084	694.23

14	गोपालगंज	334486	167243	661.55	138243	69122	510.04
15	मुजफ्फरपुर	614624	307312	1215.61	239353	119677	883.09
16	सीतामढ़ी	503368	251684	995.56	160829	80415	593.37
17	शिवहर	103952	51976	205.59	16119	8060	59.47
18	वैशाली	422413	211207	835.45	204521	102261	754.57
19	पूर्वी चम्पारण	738631	369316	1460.87	264273	132137	975.03
20	प० चम्पारण	536783	268392	1061.61	156432	78216	577.15
21	दरभंगा	509620	254810	1007.93	188338	94169	694.87
22	मधुबनी	657109	328555	1299.63	263768	131884	973.16
23	समस्तीपुर	611673	305837	1209.77	242908	121454	896.21
24	पूर्णियां	512499	256250	1013.63	156763	78382	578.38
25	किशनगंज	305707	152854	604.63	66649	33325	245.90
26	अररिया	442565	221283	875.31	128588	64294	474.43
27	कटिहार	559099	279550	1105.79	133015	66508	490.76
28	भागलपुर	400346	200173	791.80	157187	78594	579.94
29	बांका	289861	144931	573.29	81377	40689	300.24
30	मुंगेर	168386	84193	333.02	72209	36105	266.41
31	शेखपुरा	86713	43357	171.50	33358	16679	123.08
32	लखीसराय	136655	68328	270.28	54834	27417	202.31
33	जमुई	289203	144602	571.99	85974	42987	317.20
34	खगड़िया	233231	116616	461.29	72578	36289	267.78
35	बेगूसराय	421458	210729	833.56	167005	83503	616.16
36	सहरसा	365153	182577	722.20	87402	43701	322.45
37	सुपौल	323325	161663	639.48	127944	63972	472.05
38	मधेपुरा	342482	171241	677.37	120398	60199	444.20
	कुल	**14738840**	**7369431**	**29150.52**	**5237896**	**2618959**	**19325.09**

3. यह आवंटन औसत लाभांवित (नामांकन का 50%) के आधार पर है। यदि आपका आवंटन कम या ज्यादा हो तो आप आवश्यक कार्रवाई हेतु संसूचित करने की कृपा करेंगे।

4. जिला प्रशासन यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक विद्यालय के पास एक माह तक उपभोग किए जाने हेतु खाद्यान्न का स्टॉक उपलब्ध रहे, ताकि आकस्मिक परिस्थिति में योजना बाधित नहीं हो।

5. भारतीय खाद्य निगम का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित करे कि उसके गोदाम में हमेशा खाद्यान्न उपलब्ध रहे, जो किसी भी परिस्थति में Fair Average Quality (FAQ) से कम गुणवत्ता का न हो। भारतीय खाद्य निगम एक नोडल पदाधिकारी की नियुक्ति करेगा, जो खाद्यान्न की आपूर्ति से संबंधित विभिन्न समस्याओं का ध्यान रखेगा।

6. राज्य से खाद्यान्न का आवंटन प्राप्त होने के पश्चात् जिला प्रशासन खाद्यान्न की आवश्यकता, परिवहन की सुविधा एवं भंडारण की क्षमता के आलोक में खाद्यान्न के उठाव हेतु Schedule स्थानीय भारतीय खाद्य निगम को उपलब्ध करायेगा। जिला Schedule के अतंर्गत मासिक, द्विमासिक अथवा त्रैमासिक आधार पर खाद्यान्न का उठाव कर सकता है।

7. राज्य सरकार के आवंटन के आधार पर खाद्यान्न उठाव हेतु जिला प्रशासन द्वारा दिए गए Schedule के आलोक में भारतीय खाद्य निगम खाद्यान्न उपलब्ध करायेगा। जिस त्रैमास के लिए खाद्यान्न का आवंटन होगा, उस त्रैमास के पूर्व के माह की पहली तारीख से उस त्रैमास के अंतिम माह की 25 वीं तारीख के बीच खाद्यान्न के उठाव की अनुमति भारतीय खाद्य निगम को देनी होगी। उदाहरणार्थ, अप्रैल–जून, 2010 के त्रैमास हेतु खाद्यान्न के उठाव की वैधता 01 मार्च, 2010 से 25 जून, 2010 तक होगी। खाद्यान्न के उठाव की मात्रा में भारतीय खाद्य निगम कोई परिवर्त्तन नहीं करेगा। खाद्य एवं लोक वितरण विभाग के पत्रांक 4–3/2008–9–BP-II, दिनांक 09.09.2009 एवं भारतीय खाद्य निगम के पत्रांक 26.01.2009–10/MDM-S-IX/Vol II, दिनांक 16.11.2009 द्वारा भारतीय खाद्य निगम के सभी क्षेत्रीय पदाधिकारियों को यह पूर्व में ही स्पष्ट किया जा चुका है।

8. जिला प्रशासन एवं भारतीय खाद्य निगम के डिपो यह सुनिश्चित करेंगे कि आवंटित खाद्यान्न से अधिक खाद्यान्न का उठाव नहीं हो।

9. भारतीय खाद्य निगम के पदाधिकारी तथा जिला पदाधिकारी द्वारा नामित पदाधिकारी के संयुक्त निरीक्षण दल द्वारा निरीक्षण के पश्चात् यह सुनिश्चित करेंगे कि खाद्यान्न FAQ गुणवत्ता वाला है। Consignee receipt (तीन प्रतियों में) भारतीय खाद्य निगम के प्रभारी तथा जिला पदाधिकारी द्वारा नामित पदाधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित किया जाएगा। उक्त प्राप्ति की एक प्रति उठाव करने वाले पदाधिकारी के पास रहेगी तथा दूसरी प्रति जिला स्तर पर भुगतान करने वाले पदाधिकारी के पास रिकार्ड के रूप में रहेगी।

10. किसी माह में आपूर्त्ति किए गए खाद्यान्न का बिल भारतीय खाद्य निगम अगले माह की 10 तारीख तक निर्धारित प्रपत्र में जिला प्रभारी, मध्याह्न भोजन योजना को उपलब्ध करायेगा तथा जिला प्रभारी, मध्याह्न भोजन योजना उस बिल का भुगतान जाँचोपरान्त 20 दिनों के अंदर किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

11. जिला प्रशासन के प्रतिनिधि और भारतीय खाद्य निगम के प्रतिनिधि द्वारा संयुक्त निरीक्षण कर मध्याह्न भोजन योजना के लिए दिये जाने वाले खाद्यान्न में से तीन नमूने लिये जायेंगे और संयुक्त रूप से तीनों नमूनों को सील किया जायेगा। एक नमूना जिला प्रशासन के पास, एक नमूना भारतीय खाद्य निगम के जिला कार्यालय के पास और एक नमूना भारतीय खाद्य निगम के डिपो के पास रहेगा।

इन नमूने को तीन माह तक सुरक्षित रखा जायेगा। यदि इस अवधि में खाद्यान्न में गुणवत्ता की शिकायत आती है तो इस नमून से उसकी मिलान किया जा सकेगा। खाद्यान्न की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए इस प्रक्रिया को खाद्यान्न स्थानान्तरित करने के हर स्तर पर अपनाया जायेगा, जब तक कि यह खाद्यान्न बच्चों के उपयोग हेतु स्थल पर नहीं पहुँच जाता है।

12. भारतीय खाद्य निगम अपने बैंक खाता संख्या तथा भुगतान प्राप्त करने के मोड की जानकारी जिला प्रभारी पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना को देंगे। जिला प्रभारी पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना का दायित्व होगा कि वे खाद्यान्न की राशि का हस्तांतरण उस खाते में करेंगे अथवा उसमें चेक जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।

13. भारतीय खाद्य निगम के जिला प्रबंधक अथवा उनके प्रतिनिधि और सभी अन्य संबंधित पदाधिकारियों की जिला प्रशासन के साथ प्रत्येक माह के अंतिम सप्ताह में खाद्यान्न के उठाव, खाद्यान्न की गुणवत्ता एवं भुगतान के संबंध में मासिक बैठक होगी तथा अगले

माह की 7 वीं तारीख तक राज्य मुख्यालय (मध्याह्न भोजन योजना निदेशालय) को प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाएगा।

14. पूर्व निर्धारित प्रारूप के अनुसार मासिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह के अगले 10 तारीख तक निश्चित रूप से मध्याह्न भोजन योजना समिति, बिहार को उपलब्ध करा देंगे जिससे यह प्रतिवेदन राज्य स्तर पर संकलित करते हुए 15 तारीख तक भारत सरकार को भेजा जा सके।

15. MIS के माध्यम से विद्यालयवार खाद्यान्न की आवश्यकता आधारित Computer Generated Advice के अनुसार ही विद्यालयवार खाद्यान्न का उपावंटन करना सुनिश्चित करेंगे।

16. सभी प्रासंगिक पत्रों के निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने की कृपा करेंगे।

विश्वासभाजन

ह०/–
(आर० लक्ष्मणन)
निदेशक,
मध्याह्न भोजन योजना,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 1926 / पटना, दिनांक 20.12.12

प्रतिलिपि–सभी जिला प्रभारी पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

20/20.12.
(आर० लक्ष्मणन)
निदेशक,
मध्याह्न भोजन योजना,
बिहार, पटना।